भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 425
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

माध्यस्थम्, मध्यस्थता और विवाद समाधान में पहल और सुधार

425 श्री सुजीत कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यस्थम् और मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कौन-कौन सी प्रमुख पहलें की गई हैं, जिससे भारत को एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभारा जा सके ;

(ख) माध्यस्थमों और मध्यस्थों को पैनल में शामिल करने के मानदंड क्या हैं और इन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ किस प्रकार संरेखित किया जाता है ;

(ग) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत पूर्व संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) किस तरह से लंबित मामलों का समाधान करता है और इसकी दक्षता बढ़ाने की क्या योजना है ; और

(घ) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अधीन संस्थागत माध्यस्थम् की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना की गई है ।केंद्र ने भारत को माध्यस्थम् के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (माध्यस्थम् का संचालन) विनियम 2023 को तैयार और अधिसूचित किया है, जो अग्रणी वैश्विक माध्यस्थम् संस्थाओं के समान माध्यस्थम् के संचालन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित करता है ।इसके अतिरिक्त, केंद्र ने अधिनियम की धारा 28 के निबंधनों में, माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात अनुभवी माध्यस्थम् व्यवसायियों और वैकल्पिक विवाद समाधान और सुलह के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं ।मध्यस्थों का चैंबर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड) विनियम, 2023 के अनुसार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् दोनों के लिए विख्यात मध्यस्थों को पैनलित करता है ।

केंद्र ने अपनी स्थापना के पश्चात्, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थमों से संबंधित कार्यशालाएं, सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित की हैं ।मई, 2024 में केंद्र और रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर द्वारा संयुक्त रूप से केंद्र के परिसर, वसंत कुंज, नई दिल्ली में एक माध्यस्थम् प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

केंद्र ने विवाद समाधान के पसंदीदा तरीकों के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रोहतक और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन भी किया है ।

केंद्र ने देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्था बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत ढांचे की क्वालिटी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

(ख) : वर्तमान में, माध्यस्थम् संस्थाएं और मध्यकता सेवा प्रदाता क्रमशः मध्यस्थों और मध्यकों को सूचीबद्ध करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपना सकते हैं ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में मध्यस्थों को, आईआईएसी (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड) विनियम, 2023 में दिए गए मानदंडों के निबंधनों में, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 28 के अधीन मध्यस्थता चैंबर द्वारा पैनलित किया जाता है ।मध्यकता अधिनियम, 2023 के विभिन्न उपबंध धारा 41, जो मध्यकता सेवा प्रदाताओं को मध्यकों का पैनल बनाए रखने के लिए सक्षम बनाती है, सहित मध्यस्थों के पैनल के रखरखाव का उपबंध करते हैं ।

(ग) : वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क में विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों में वाद संस्थित करने से पहले आज्ञापक संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) का उपबंध है, सिवाय उन मामलों के जिनमें पक्षकार द्वारा तत्काल राहत अपेक्षित है। इसलिए पक्षों को न्यायालयों में जाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपचार निःशेष करना होगा ।इसका उद्देश्य पक्षों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए अवसर प्रदान करना और इस प्रकार सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए विवादों को न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालयों में ले जाने से रोकना है ।

पीआईएमएस की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क का और संशोधन किया है। संशोधन, अन्य बातों के साथ-साथ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरणों के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मध्यकता सेवा प्रदाताओं को पीआईएमएस संचालित करने के लिए सशक्त करता है ।

(घ) : सरकार, मध्यकता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठा रही है ।इस संबंध में, संविधान दिवस के अवसर पर 26.11.2023 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा "वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मार्गदर्शिका" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया ।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, वैकल्पिक विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पणधारियों के लिए कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित करना जारी रखता है और समयबद्ध, प्रभावकारी और लागत प्रभावी विवाद समाधान को सक्षम करने के लिए पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अपनाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है ।

मध्यकता अधिनियम, 2023 से मध्यकता पर स्वतंत्र विधि उपबंधित करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की संस्कृति के विकास को सक्षम करने के लिए और परिणाम पक्षकार द्वारा संचालित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप होने की उम्मीद है ।सरकार मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न पणधारियों के साथ लगातार संपर्क में है ।

****